झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–682/2019–11/19-20 ५० ४१/ राँची, दिनांक 9.07.2019

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– सिमडेगा जिलान्तर्गत कंसजोर जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 58.05 करोड़ (रूपये अंठावन करोड़ पाँच लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन सिमडेगा जिलान्तर्गत कंसजोर जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 58.05 करोड़ (रूपये अंठावन करोड़ पाँच लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. कसंजोर जलाशय योजना के अंतर्गत डैम की लम्बाई 1.92 कि०मी० है। बांयी मुख्य नहर की लम्बाई 17.58 कि0मी0 एवं दायीं मुख्य नहर की लम्बाई 6.63 कि0मी0 है। योजना के अंतर्गत नहरों की स्थिति दयनीय है। इन नहरों की रूपांकित सिंचाई क्षमता, एवं पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता का विवरण निम्नवत् है –

			खरीफ (हे०)	रब्बी (हे०)
(i)	रूपांकित सिंचाई क्षमता	–	3253	660
(ii)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता	–	1400	600
(iii)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त कुल सिंचाई क्षमता	–	3250 (99.9%)	652 (98%)

4. इस परियोजना के माध्यम से सिमडेगा जिला के पाकरटांड़ एवं सिमडेगा प्रखण्ड के पाकरटांड़, कोबांग, सिकरियाटांड़, तामड़ा इत्यादि राजस्व ग्राम के विभिन्न टोलों में सिंचाई उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें लाभान्वित प्रखंड के लगभग 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हैं।

5. इस कार्य अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें –

i. डैम के कुल लम्बाई 1.92 कि०मी० के Slope के Rain Cut में मिट्टी भराई कार्य, Slope को दुरूस्त करने का कार्य, Turfing कार्य, Slope drain, Berm drain एवं Toe drain के मरम्मति कार्य,

ii. नहरों को रूपांकित सेक्सन में लाने के लिए नहर तल के गाद सफाई, नहर तटबंध मरम्मति एवं संरचनाओं की मरम्मति कार्य,

iii. बांयी मुख्य नहर के 17.58 कि०मी० एवं दांयी मुख्य नहर के 6.63 कि०मी० में लाईनिंग कार्य तथा

iv. दांयी मुख्य नहर के लघु वितरणी / जलवाहों OR2 (2.11 km), OR3 (1.86 km), OR4 (0.70 km), OR5 (0.90 km), OR7 (0-44 km) एवं OL7 (0.72 km) तथा बांयी मुख्य नहर के शाखा नहर/लघु वितरणी/जलवाहों OR3 (1.26 km), OR4 (1.74 km), OR5 (2.04 km), OR18 Sogra Distributary (5.00 km), OR18 Saindih Minor (4.30 km), OR19 (1.67 km), OR20 (1.27 km), OR21 (0.75 km), OR22 (1.68 km), OR23 (2.91 km), OR24 (3.10 km), OR25 (0.90 km), OR26 (2.00 km), OR27 (2.94 km), OR28 (3.45 km), OR29 (1.05 km), OR30 (0.66 km) एवं OR31 (3.00 km) को रूपांकित सेक्शन में लाने के लिए, इसका तल सफाई, तटबंध एवं संरचनाओं के मरम्मति कार्य तथा लघु वितरणी के कुछ अवशेष स्थान पर निर्माण कार्य शामिल है।

6. योजना के मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के लिये रू० 5804.962 लाख के प्राक्कलन की मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction) प्रदान की गयी है, जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	Component	Particulars	Nos.	Amount (in Rs.)
	Head Work (Part-I)			
1	Dam	Repairing & Maintenance of Dam		17407289.19
	Canal Work (Part-II)			
1	Earth Work	Residual Earth Work of Canals / Distributories		60299829.02
2	Lining	Lining of Left & Right Main Canal		412480994.90
3	Outlet	Repairing & Maintenance of Outlet	39 nos.	5496607.62
4	Fall	Repair of Fall	18 nos.	9361749.27
5	Bridge	Repair of S.L.R. Bridge	7 nos.	214207.08
6	Culvert	Construction of H.P. Culvert	2 nos.	288480.21
7	C.D.	Repairing & Maintenance of C.D.	23 nos.	3052923.51
8	C.D.	Construction of C.D.	1 no.	2038490.52
		Total :-		**510640571.32**
		Add : GST - 12%		61276868.56
		Total :-		**571917439.88**
		Add : 1% L.C.		5719174.40
		Add : 0.5% Contingency		2859587.20
		Grand Total :-		**580496201.48**
		Say :-		**Rs. 58.05 cr.**

7 इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रारंभ कर जून 2022 तक पूर्ण किया जाना है।

8. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०–1, सिमडेगा होंगे।

9. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वियन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

11. इस योजना पर होने वाला व्यय

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-796-54-05-45)

12. वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकृत बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a) शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 45 में रू० 14000.00 लाख

13. कार्य के लिये राशि की निकासी सिमडेगा कोषागार, सिमडेगा से की जायेगी।

14. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

16. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

18. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति एवं योजना –सह– वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

19. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.06.2019 के मद सं०–16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

20. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26.6.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–682/2019–11/19-20 ५ खी/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–682/2019–11/19-20 ५ खी/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा कोषागार, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–682/2019–11/19-20 ५ खी/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, गुमला/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल सं०–1, सिमडेगा/ कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–682/2019–11/19-20 ५ खी/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–682/2019–11/19-20 ५ खी/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव